राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1631/2025

राजेन्द्र सिंह रावत —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 28.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री एन.सी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी—II पद पर रेंज आसींद, उपवन संरक्षक, भीलवाड़ा में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से रेंज मारवाड़ जंक्शन, उपवन संरक्षक, पाली में 220 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2022 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने 21.10.2022 (अनुलग्नक—3) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी—II के पद पर रेंज आसींद, उपवन संरक्षक, भीलवाड़ा में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।
3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी—II पद पर रेंज आसींद, उपवन संरक्षक, भीलवाड़ा में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान

से रेंज मारवाड़ जंक्शन, उपवन संरक्षक, पाली में प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर दिनांक 21.10.2022 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)